13/7/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम महावा पटवार मण्डल महावा स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 39 व राजस्व ग्राम भराला पटवार मण्डल महावा खाता सं. 06 की खातेदारी में वादी का नाम शक्ति सिंह पुत्र गोकुल सिंह दर्ज रिकार्ड है जो गलत है जबकि वादी का सही नाम सत्यवान सिंह पुत्र गोकुल सिंह है, वादी के सभी सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम सत्यवान सिंह पुत्र गोकुल सिंह दर्ज है। अतः वादी का सही नाम सत्यवान सिंह पुत्र गोकुल सिंह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम शक्ति सिंह पुत्र गोकुल सिंह गलत दर्ज कर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में पैन कार्ड, आधार कार्ड की प्रतियां पेश की जिनमे वादी का सही नाम सत्यवान सिंह पुत्र गोकुल सिंह है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का लिखित शपथ पत्र व गवाहान के रूप में मनफूल सिंह पुत्र उमराव सिंह जाति राजपूत निवासी महावा, रणजीत सिंह पुत्र गोकुल सिंह जाति राजपूत निवासी महावा के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम शक्ति सिंह पुत्र गोकुल सिंह अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही दस्तावेजी नाम सत्यवान सिंह पुत्र गोकुल सिंह है की पुष्टि आधार कार्ड, पैन कार्ड से होती है। वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी इन तथ्यों की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावजात से वादपत्र वादी साबित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम महावा के खाता संख्या 39 व राजस्व ग्राम भराला के खाता संख्या 06 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में दर्ज खातेदार शक्ति सिंह पुत्र गोकुल सिंह के स्थान पर सत्यवान सिंह पुत्र गोकुल सिंह दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner